राजस्वप्रार्थनापत्र 44/2019
राजेन्द्र बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र चौधरी, आर.ए.एस

मु0न0 – 44/2019

प्रार्थी–

1. राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल जाति खाती
   निवासी सांडिला तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल ।

(मुहर: सहायक कलक्टर जायल (एस.डी.ओ.))

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित –

1. अभिभाषक श्री मुन्नीलाल कड़वासरा प्रार्थी की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार जायल)

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 01/03/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल हैं। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा सांडिला के खतौनी सं. 354 खसरा नम्बर 87 रकबा 4.12 बीघा में प्रार्थी का नाम बचपन की बोल –चाल की आम भाषा में रामेश्वरलाल से संबोधित होने से सहवन से रामेश्वरलाल पुत्र जंवरीलाल दर्ज हो गया है। प्रार्थी के मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन काड , भामाशाह व आधार कार्ड संख्या 990792819661 मे प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया।जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./2020/3173 दिनांक 23.10.2020 मय हल्का पटवारी रोहिणा की मौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2020 के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी राजेन्द्र को ही बचपन में रामेश्वरलाल के नाम से बुलाते थे परन्तु मूल नाम राजेन्द्र होने से अन्य सभी दस्तावेजों में राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल नाम दर्ज हो गया पर राजस्व

01/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

रेकर्ड में बोलचाल की भाषा के आधार पर ही रामेश्वरलाल दर्ज हो गया जिसे प्रार्थी अब राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल दर्ज करवाना चाहता है जो सही है। जांच करने पर पाया गया कि रामेश्वर व राजेन्द्र दोनो एक ही व्यक्ति। प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र जंवरीलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किये जाने की अभिषंशा की।

प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी रोहिणा की रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेसं, कार्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांडिला द्वारा जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा पत्र कमांक 40 संख्या बु.न. 6 व सांडिला के खतौनी सं. 354 खसरा नम्बर 87 रकबा 4.12 बीघा की नकल खतौनी प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में सांडिला के खतौनी सं. 354 खसरा नम्बर 87 रकबा 4.12 बीघा में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र जंवरीलाल दर्ज के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल जाति खाती निवासी सांडिला शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम सांडिला के खतौनी सं. 354 खसरा नम्बर 87 रकबा 4.12 बीघा संवत् 2070–73 में प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र जंवरीलाल दर्ज है जिसके स्थान पर राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल जाति खाती निवासी सांडिला शुद्ध किये जाने में तहसीलदार जायल (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह व आधार कार्ड संख्या 990792819661 की फोटो प्रति से ड्राईविंग लाईसेसं , कार्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांडिला द्वारा जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा पत्र कमांक 40 संख्या बु.न. 6 से प्रार्थी राजेन्द्र उर्फ रामेश्वरलाल एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की अभिषंशा रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी राजेन्द्र उर्फ रामेश्वरलाल दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल जाती खाती निवासी सांडिला ही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है। परन्तु प्रकरण में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में भी नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल एवं रामेश्वरलाल पुत्र जंवरीलाल दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र जंवरीलाल जाति–खाती निवासी–साण्डिला तहसील जायल का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 354 में दर्ज बोलता नाम के स्थान पर वास्तविक नाम राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्व प्रसंज्ञान से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत धारा 88, 136 आर.टी.एक्ट का मानते हुये स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम सांडिला तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 354 में दर्ज खातेदार रामेश्वरलाल पुत्र जंवरीलाल का बोलता नाम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र जंवरीलाल जाति खाती निवासी सांडिला दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01/03/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

01/03/2021
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner